हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 05/2023 बअनवान हिम्मतसिंह बनाम सरकार वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 05.09.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री मुकेश गोयल
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि दौराने पैमाईश समरी खसरा संख्या 19 रकबा 345 बीघा भूमि ग्राम जेठा चांधन की भूमि हाल खसरा संख्या 977 के मिन खसरा संख्या 977/1126 रकबा 249.19 बीघा की संपूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त वक्त जागीरी से आज तक चला आ रहा है और उक्त खसरा में ही प्रार्थीगण के तीन पक्के कमरे ईंटों से निर्मित किए हुए है जिसमें प्रार्थीगण का रहवास हैं, भूमि प्रबन्ध विभाग वालों ने दौराने पैमाईश मौके पर पैमाईश की गयी थी और वक्त पैमाईश उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होते हुए भी गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी में रदोबदल करने तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है यदि रेस्पोडेंटस अपने उदेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलांट की अपील का उदेश्य समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

आराजी पर अपीलांट का कोई हक नियत नहीं है। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की गई जिसके आधार पर अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कोई हक पैदा नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियां का पालन करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कल्क्टर जैसलमेर के राजस्व आवेदन संख्या 28/2022 बअनवान हिम्मत. सिंह वगै. बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 08.06.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 05.09. 2023 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर